



अनौपचारिक टिप्पणी

विषय – ई-संजीवनी ओपीडी मोबाइल ऐप के द्वारा मरीजों को टेलीकंसल्टेशन सेवायें उपलब्ध कराने बाबत।

सन्दर्भ:—पत्र क्रमांक 513 दिनांक 17.02.2021, 514 दिनांक 17.02.2021, 515 दिनांक 17.02.2021, 548 दिनांक 04.03.2021, 554 दिनांक 09.03.2021, 568 दिनांक 17.03.2021, 578 दिनांक 22.03.2021, 753 दिनांक 30.03.2021, 754 दिनांक 30.03.2021, 768 दिनांक 31.03.2021 एवं 55 दिनांक 09.06.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कर आपको सूचित किया जाता है कि ई-संजीवनी के माध्यम से अब तक कुल 25300+ टेलीकंसल्टेशन दी जा चुकी है। उक्त क्रम में निवेदन है कि ई-संजीवनी ओपीडी टेलीकंसल्टेशन प्लेटफार्म के अधिकाधिक उपयोग हेतु आपके कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों में उपलब्ध मानव संसाधन को निर्देशित करने का श्रम करावें।

वर्तमान में जिला/ उप-जिला/ सेटलाइट चिकित्सालयों पर डाक्टर-हब पर चिकित्सक, राज्य स्तर से जारी रोस्टर के अनुरूप उपलब्ध हैं। जिनकी सेवायें मरीजों को स्वास्थ्य-मित्र, आशा, एएनएम, सीएचओ, एनसीडी काउंसलर, आरकेएसके काउंसलर, एमएचटी (आरबीएसके) एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा दिया जाना सुनिश्चित करावें ताकि हब पर कार्यरत चिकित्सकों की सेवायें ज्यादा से ज्यादा मरीजों को मिलें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(डॉ. राजेन्द्र कुमार शर्मा)
राज्य नोडल अधिकारी-आईटी

समस्त परियोजना निदेशक,
समस्त राज्य नोडल अधिकारी,

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएवएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चि0स्वा0प0क0।
2. निजी सहायक, निदेशक जन-स्वास्थ्य/ परिवार कल्याण।
3. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं शहरी कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम।
8. समस्त जिला आशा समन्वयक एनएचएम।
9. रक्षित पत्रावली।

राज्य नोडल अधिकारी-आईटी